

कार्यालय

संयुक्त

निदेशक

फायर सर्विस

मुख्यालय

लखनऊ।

पत्रांक: आर- 6/जे0डी0/लखनऊ-16(गौतम0)/18

दिनांक: मार्च 17 2016,

सेवा मे,

महाप्रबन्धक, (वास्तु एवं नियोजन)

ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण,

जनपद गौतमबुद्धनगर।

विषय:

मैसर्स एस0जे0पी0 होटल रिसोर्ट्स प्रा0 लि0, द्वारा प्लॉट न0-जी0एच0-01बी0(1), सेक्टर ईटा-2, ग्रेटर नौएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित गुप हाउसिंग भवन (मिगसन विन) के निर्माण हेतु मानचित्रों की अनुज्ञा हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

सन्दर्भ:

यूआईडी:2016/19531/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/4679/जे0डी0

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से उक्त प्रश्नगत भूखण्ड पर आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र एवं प्रश्नोत्तरी उपलब्ध कराते हुए अग्निशमन प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रों का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी सूरजपुर ग्रेटर नौएडा से कराया गया तो उनके द्वारा अपनी संस्तुति आख्या दिनांक: 05-03-2016 मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को उपलब्ध करायी गयी, आख्या एवं मानचित्रों का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर उनके द्वारा अपनी संस्तुति आख्या उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ को उपलब्ध करायी गयी तथा उपनिदेशक फा0स0 द्वारा अभिलेखों का परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी गयी जिसका विवरण निम्नवत है:-

भवन की संरचना:-

01-कुल प्लॉट एरिया-32,050.00 वर्ग मी0 है जिसमे प्रस्तावित आवासीय भवनों का विवरण निम्नवत है:-

क्रमांक	नाम टावर	तलों की संख्या	भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0।	टिपिकल कवर्ड एरिया वर्ग मी0।	ऊँचाई मी0।
1	टावर-ए0	बेस0, स्टिल्ट/भूतल एवं 26	821.73	582.17	82.300
2	टावर-बी0	बेस0, स्टिल्ट/भूतल एवं 24	684.38	457.97	76.300
3	टावर-सी-01	बेस0, स्टिल्ट/भूतल एवं 24	780.40	541.54	76.300
4	टावर सी-03 एवं सी-04	बेस0, स्टिल्ट/भूतल एवं 24	746.71 प्रत्येक	541.53	76.300
5	टावर सी-05 एवं सी-02	बेस0, स्टिल्ट/भूतल एवं 26	1476.42 प्रत्येक	541.59	82.300
6	टावर-सी-06	बेस0, स्टिल्ट/भूतल एवं 24	746.71	541.54	76.300
7	टावर-डी0	बेस0, स्टिल्ट/भूतल एवं 13	642.48	472.58	43.300
8	टावर-ई0	बेस0, स्टिल्ट/भूतल एवं 11	821.73	582.19	37.300
9	कामर्शियल	भूतल	1084.46	-	04.300
10	कम्यूनिटी	भूतल एवं 04	317.17	312.36/219.44/233.49/163.80	18.700
11	बेसमेन्ट कवर्ड एरिया-23,954.92 वर्ग मी0।				

भवन का अधिभोग विवरण:- प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट (एन0बी0सी-2005 आवासीय श्रेणी ए0-4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्था:-

1-**पहुच मार्ग:-** भूखण्ड के सामने मानचित्रों में रोड की चौड़ाई 60 मी0 का रोड है प्रवेश एवं निकास द्वार जिनकी चौड़ाई 09.00 मीटर एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

2-**सैटबेक:-** प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत है:-

ए0-अग्रभाग-20.00 मी0।


बी0-पृष्ठ भाग-09.00 मी0।

सी0-पार्श्व भाग प्रथम-20.00 मी0।

डी0-पार्श्व भाग द्वितीय-09.00 मी0 प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार भवन विनियमावली मानको के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमें किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य अनुमन्य नहीं होगा तथा टावरों के चारों ओर 06 मीटर 45 टन भार क्षमता का मोटरेबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान रखा जाना अनिवार्य है जैसा कि मानचित्रों में दर्शाया है।

3-**निकास मार्ग:-** प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर में 02 स्टेयरकेस प्रस्तावित है जिनकी चौड़ाई 01.50 मी0 प्रत्येक प्रस्तावित है, बेसमेन्ट में 02 अदद रैम्प एवं प्रत्येक टावर का एक एक रैम्प प्रस्तावित है जिनकी फलोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है तथा एक स्टेयर को फायर टावर के रूप में निर्मित किया जायेगा



- 4-रिफ्यूज एरिया:- भवन में रिफ्यूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट में बालकनी का प्राविधान है जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।
अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:-प्रश्नगत भवन में एन0बी0सी0 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएं कराया जाना वॉच्छनीय है।
- 1-भूमिगत:- प्रश्नगत भवन में अग्निशमन कार्य हेतु 2,00,000 दो लाख लीटर क्षमता के 02 अदद भूमिगत टैंक एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
 - 2-पम्पस:- भूमिगत टैंक के पास 2850 एल0पी0एम0 क्षमता के 02 अदद विद्युत चालित मेन पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 01 अदद जौकी पम्प के 02 सैंट पम्प मानको के अनुसार स्थापित कराये जाने वॉच्छनीय है।
 - 3-टेरिस टैंक:- प्रश्नगत भवन के टावर डी0 एवं ई0 की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 10,000 हजार ली0 एवं टावर ए0,बी0,सी01,सी02,सी03,सी04,सी05 एवं सी06 के प्रत्येक टावर की प्रत्येक टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 25,000 ली0, स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
 - 4-होजरील:- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर में प्रत्येक तल पर होजरील लैण्डिंग वाल्व, मय होज बाक्स, होज पाइप, एवं ब्रान्च पाइप का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।
 - 5-वेटराईजर:- प्रस्तावित भवन में 150 एमएम का वेटराईजर एवं फायर सर्विस इन्लेट एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।
 - 6-यार्ड हाईड्रेण्टस:- प्रस्तावित भवन रिंग लाइन उस पर यार्ड हाईड्रेण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट का मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।
 - 7-आटोमेटिक सिंप्रकलर सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन के बेसमेन्ट एवं टावर ए0,बी0,सी01,सी02,सी03,सी04,सी05 एवं सी06 के प्रत्येक तल पर आटोमेटिक सिंप्रकलर सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।
 - 8-मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:-समस्त टावरो में मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
 - 9-आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन के बेसमेन्ट एवं टावर ए0,बी0,सी01,सी02,सी03,सी04,सी05 एवं सी06 के प्रत्येक टावर में प्रत्येक तल पर आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।
 - 10-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन में निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0- 2190 के अनुसार प्राविधान किया जाना है जो मानक के अनुरूप है।
 - 11-स्मोक एक्स्ट्रैक्शन:- प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट में स्मोक एक्स्ट्रैक्शन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
 - 12-वेन्टीलेशन:- प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट में मेकेनिकल वेन्टीलेशन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
 - 13-एग्जिट साईनेज:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो में एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
 - 14-पी0ए0 सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो में पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
 - 15-प्रशिक्षित स्टाॅफ:- प्रश्नगत भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के संचालन हेतु व्यवसायिक रूप से दक्ष कर्मी एवं प्रशिक्षित फायर आफिसर एन0बी0सी0-2005 के प्रस्तर सी0-6 के अनुसार नियुक्त किया जाना वॉच्छनीय है।
 - 16-प्रश्नगत भवन में इमरजेन्सी/ स्केप लाईटिंग एन0बी0सी0-2005 पार्ट-4 में उल्लेखित प्राविधानों के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा।
 - 17-भवन में निर्माण के पश्चात व उपयोग से पूर्व भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन प्रणाली के कुशल संचालन व सदैव कार्यशील बनाये रखने हेतु एन0बी0सी0 पार्ट-4 के प्रस्तर सी0-5,सी-6,सी-7,सी-8 एवं सी-9 में उल्लेखित मानको का पालन अनिवार्य होगा।
 - 18-भवन के सम्पूर्ण अग्निशमन प्रणाली फायर लिफ्ट, स्टेयरकेसों व कोरीडोर की लाइटों को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत से पृथक लाइन (वायरिंग) फायर सेफ डक्ट से सुरक्षित करते हुये जोडा जाना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स एस0जे0पी0 होटल रिसोर्टस प्रा0 लि0, द्वारा प्लाट न0-जी0एच0-01बी0(1), सेक्टर ईटा-2, ग्रेटर नौएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित गुप हाउसिंग भवन (मिगसन विन) के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 में उल्लेखित मानको के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाये मानको के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र।

(पी0के0 राव)
संयुक्त निदेशक फायर सर्विस
उपनिदेशक (एन0बी0सी0)
संयुक्त निदेशक प्रा0 न0
30 प्र0 कलकत्ता

प्रतिलिपि:1-उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3-अग्निशमन अधिकारी सूरजपुर ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4-मैसर्स एस0जे0पी0 होटल रिसोर्टस प्रा0 लि0, द्वारा प्लाट न0-जी0एच0-01बी0(1), सेक्टर ईटा-2, ग्रेटर नौएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर को उक्त के सन्दर्भ में अनुपालनार्थ।